न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 67 / 2023

1 कजोड़मल पुत्र रूड़ा जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 मूला पुत्र रूड़ा जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 भोलाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक।
3 / 1 श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व. भोलाराम
3 / 2 श्रीमती संतोष पत्नी स्व. भोलाराम
3 / 3 सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भोलाराम
3 / 4 सरोज पुत्री स्व. भोलाराम
3 / 5 शेरसिंह ताखर पुत्र स्व. भोलाराम समस्त जातियान जाट निवासीगण दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 सहीराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मुंगाराम पुत्र रिछपाल
2 धन्ना पुत्र छोटू जातियान जाट निवासीगण दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 गिरवर सिंह पुत्र सल्लाराम
4 शांति देवी पत्नी गिरधारी
5 अशोक पुत्र गिरधारी
6 महेश पुत्र गिरधारी जातियान मीणा निवासी दलेलपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 बिमला देवी पुत्री गिरधारी पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
8 मिश्री देवी पत्नी रामकुमार जाति मीणा निवासी दलेलपुरा हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 केशरी देवी पुत्री रामकुमार पत्नी मदन जाति मीणा निवासी न्योराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
10 लक्ष्मी देवी पत्नी सुधा
11 छाजुराम पुत्र सुवा
12 रणजीत पुत्र सुवा
13 जयसिंह पुत्र सुवा
जातियान मीणा निवासीगण दलेलपुरा हाल आबाद नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
14 सुप्यार देवी पुत्री सुवा पत्नी बोदूराम जाति मीणा निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
15 चूकी देवी पुत्री सुवा पत्नी रतन जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
16 अनिता पुत्री सुवा पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
17 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
18 उप पंजीयक खेतड़ी
19 राज. राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम मुतफर्रिक अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2023 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं बमुकदमें उनवानी कजोड़मल
आदि बनाम मूंगाराम वगै.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2023 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम नौरंगपुरा तहसील खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.05.2023 को विवादित भूमि के संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। दिनांक 07.10.2023 को विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.05.2023 में आंशिक संसोधन कर रिहायशी मकान निर्माण की इजाजत दे दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.05.2023 पारित करते समय प्रार्थीगण द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों तथा प्रार्थना पत्र के सशपथ सत्यापित अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपीलान्टस/प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होना मानते हुए तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना मानते हुये न्यायिक विवेक को प्रयोग में लेते हुए विपक्षीगण को वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा रास्ते का अवरूद्ध नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा पारित की गई थी जो पूर्णतया विधि सम्मत आदेश था। अपीलान्टस/

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की भी पालना नियमानुसार कर दी गई थी तथा पत्रावली में रेस्पोडेन्टस/विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की जवाबदेही प्रस्तुत होने के उपरान्त आगामी तारीख पेशी 14.08.2023 नियत की गई थी। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 10.07.2023 को ही विपक्षी संख्या 1 के शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र व निर्माण कार्य करने की अनुमति देने के प्रार्थना पत्र पर अपीलान्टस/प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अविधिक रूप से आदेश दिनांक 29.05.2023 को आंशिक रूप से निरस्त करते हुये रेस्पोडेन्ट/विपक्षी संख्या 1 को अविभाजित वादग्रस्त भूमि में निर्माण की इजाजत दिये जाने का अविधिक आदेश दिनांकित 10.07.2023 पारित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ना ही प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ था क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत जवाब के अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि अविभाजित होना व तथा निर्माण कार्य नहीं करने की स्वीकारोक्ति की गई थी तथा स्वयं अप्रार्थीया संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के खाता विभाजन करवाये जाने की सहमति प्रदान की गई थी ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीख पेशी से पूर्व अपीलान्टस/प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया आदेश दिनांक 10.07.2023 पूर्णतया अविधिक होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है। अपीलान्टस/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की होना तथा अविभाजित होना तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में सड़क से लगते हुये हिस्से में नींव खोदकर निर्माण कार्य शुरू कर देना तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा जबरन वादग्रस्त भूमि के किमती हिस्से पर कब्जा करने का कथन अभिकथित किया गया था जिसकी जवाबदेही में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के अभिवचनों को स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि को पैत्रिक अविभाजित कृषि भूमि होना तथा वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य करने के तथ्य को इन्कार किया है तथा उक्त जवाबदेही दिनांक 06.07.2023 को ही प्रस्तुत की गई थी ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बिना तिथि के प्रार्थना पत्र जिसमें वादग्रस्त भूमि की बाबत कोई भी परिवर्तन बाबत अंकन नहीं है, के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित करना पूर्णतया विरूद्ध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कानून एवं पत्रावली है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के परन्तुको की परिधि में पारित आदेश नहीं है उक्त आदेश पूर्णतया अविधिक एवं आर्बीट्रेरी है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस/प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किये तथा नियत तारीख पेश से पूर्व ही विपक्षी संख्या 1 के अनुचित प्रार्थना पत्र पर चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 को वादग्रस्त अविभाजित भूमि में पुख्ता निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई है, से वादग्रस्त भूमि के स्वरूप एवं कब्जे में निश्चित रूप से मूलभूत परिवर्तन होगा तथा मौके पर अनावश्यक विवाद पैदा होगा तथा इससे पक्षकारान में वादबहुलता को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2023 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है तथा अन्य अप्रार्थीगण ने अपने बांहमी बंटवारे में आई भूमि पर मकान बना लिए है। अब अप्रार्थी संख्या 1 भी अपने बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर अपने हिस्से तक पशुओं का बाड़ा व मकान बनाना चाहता है तथा बारिस के कारण निर्माण सामग्री खराब हो रही है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता है। बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर एक खातेदार दुसरे सहखातेदार को उपयोग एवं उपभोग के लिए पाबंद नहीं करवा सकता है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर स्वयं की सहखातेदारी की भूमि में 500 वर्गमीटर भूमि पर स्वयं के रिहायशी मकानात/पशु बाड़ा के निर्माण के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। शेष अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रखी गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर स्वयं की सहखातेदारी की भूमि में 500 वर्गमीटर भूमि पर स्वयं के रिहायशी मकानात/पशु बाड़ा के निर्माण के लिए शिथिलता प्रदान की गई है। शेष अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रखी गई है। विभाजन के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदार को रिहायशी मकान/पशु बाड़ा के लिए स्थगन में शिथिलता प्रदान कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)